

26-11-25

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्तव आदेश में दिनांक 16-12-25 को पेश होगी

16-12-25

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी गई प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में इस प्रकार से निवेदन किया है कि मैं ह्या जाब्दा प.ह. सामरियाकेला के खाता सं. 13 आराजी सं. 263, 264, 267, 268, 270, 271, 272, 273 कुल किता-08 कुल रकना 2.2600 है. भूमि में प्रार्थीगण के पिता लालू पुत्र छोगा गुर्जर के बजाय राजस्व कर्मचारियों की लिपिकिय श्रुती से छोगा पुत्र लालू गुर्जर दर्ज हो गया है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर छोगा पुत्र लालू गुर्जर के बजाय लालू पुत्र छोगा गुर्जर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रकरण में वकील प्रार्थी की जवाब बहस पैरोकार तहसीलदार बेंगू ने इस प्रकार से निवेदन किया है कि श्री मान उप जिलाधीश महो. बेंगू द्वारा दिनांक 21-01-1974 को तहसीलदार बेंगू पत्र जारी कर मु. न. 33/69 की डिक्री अनुसार श्री छोगा पिता लालू गुर्जर बनाम देवी भील से वादी को खातेदार घोषित किया जाने से डिक्री अनुसार अमल दरमद करना सं. 11 दायर किया गया जो आज दिनों कतक पला अ. रद्द है। प्रा.पत्र वर्णित आराजीयात में पूर्व से ही लालू पिता छोगा का कब्जा था। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुनी गई एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत नकल मृत्यु प्रमाण पत्र लालू गुर्जर का है। जिसकी मृत्यु दिनांक 12-6-2006 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हुई है। एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10-8-1971 को जारी की गई डिक्री व निर्णय में भी लालू पिता छोगा बनाम देवी पिता भेरू का अंकन है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये सिद्ध हो सके कि लालू पुत्र छोगा गुर्जर का नाम छोगा पुत्र लालू हो।

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
जो इस
में

आतः प्रार्थी का प्रा-पत्र अ-धा-1366 R A का
दस्तावेजो से सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम थी।

10/11/2018